

## अस्पताल के आदेश के द्वारा पाबंदियों सहित अस्पताल में दाखिल करना

(मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का अनुच्छेद 37 और 41)

|   |  |
|---|--|
| 1. रोगी का नाम  |  |
| 2. आपकी देखभाल के लिए प्रभारी व्यक्ति का नाम (आपके लिए "ज़िम्मेदार क्लीनिशियन") |  |
| 3. अस्पताल और वार्ड का नाम  |  |
| 4. आपके अस्पताल के आदेश की तिथि   |  |

### मैं अस्पताल में क्यों हूँ?

आपको इस अस्पताल में न्यायालय के आदेश पर रखा जा रहा है। न्यायालय ने कहा है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 के अनुच्छेद 37 के तहत यहां रखा जा सकता है।

इसे ही "अस्पताल का आदेश" कहते हैं। इसका मतलब है कि दो डॉक्टरों ने न्यायालय को बताया है कि उनके अनुसार आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और आपको अस्पताल में रखना ज़रूरी है।

सार्वजनिक सुरक्षा के कारणों से, न्यायालय ने भी आपको मानसिक स्वास्थ्य कानून के अनुच्छेद 41 के तहत पाबंदी युक्त आदेश दिया है।

### पाबंदियों युक्त आदेश क्या होता है?

पाबंदियों युक्त आदेश का मतलब है कि आपको अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती है बशर्ते कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस या न्यायाधिकरण यह न कहे कि आप अस्पताल छोड़कर जा सकते हैं, और अस्पताल से आपकी छुट्टी कुछ खास स्थितियों पर निर्भर करती है जिन्हें आपको ऐसे समय पर बता दिया जाएगा। जब तक आप अस्पताल में हैं, तब तक आपको अस्थाई छुट्टी देने या किसी अन्य अस्पताल में भेजने से पहले आपकी देखभाल के लिए प्रभारी व्यक्ति (आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन) को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। वे आपका परीक्षण भी करेंगे और वर्ष में कम से कम एक बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपके बारे में एक रिपोर्ट भेजेंगे।

## मैं यहां कितने समय तक रहूंगा?

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन को जब यह लगेगा कि आप अस्पताल छोड़कर जाने के लिए स्वस्थ हो गए हैं तो वह आपको बताएगा। इसके बाद वे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस से सहमति देने को कहेंगे। जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सहमति नहीं देते, तब तक आप अस्पताल छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यदि आप इससे पहले ही जाने की कोशिश करते हैं तो स्टाफ आपको रोक सकता है, और यदि आप जाते हैं तो आपको वापस लाया जा सकता है।

## मुझे क्या उपचार दिया जाएगा?

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन और अस्पताल का अन्य स्टाफ आपसे ऐसे किसी उपचार के बारे में बात कर सकता है जिसकी आपको अपनी मानसिक अस्वस्थता के लिए आवश्यकता है। अधिकांश स्थितियों में आपको उनकी सलाह माननी होगी।

तीन महीनों बाद, आपकी मानसिक अस्वस्थता के लिए आपको दी जा रही दवाओं या औषधियों के संबंध में विशेष नियम लागू होंगे। यदि आप दवाएं या औषधियां नहीं लेना चाहें, या फिर भले ही उन्हें लेना चाहें लेकिन आप बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए हों, तो इस अस्पताल से बाहर का एक डॉक्टर आपसे मुलाकात करने आएगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर आपसे और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ से बात करेगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर इस बात का फैसला करेगा कि आपको कौन-सी दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं। यदि आपात स्थिति आ जाए, तो आपकी सहमति के बिना आपको सिर्फ यही दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं।

स्वतंत्र डॉक्टर को एसओएडी (द्वितीय राय हेतु नियुक्त डॉक्टर) कहा जाता है और उसे एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा नियुक्त किया जाता है जो यह निगरानी करता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है।

कुछ विशेष उपचारों, जैसे इलेक्ट्रो-कनवल्सिव थेरेपी (ईसीटी), के लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं। यदि स्टाफ को यह महसूस हो कि आपको इन विशेष उपचारों में से किसी एक की ज़रूरत है, तो आपको नियम समझाए जाएंगे और आपको एक और पुस्तिका दी जाएगी।

## क्या मैं अपील कर सकता हूँ?

हां। आप न्यायालय से अपने मामले पर फिर से विचार करने को कह सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको यह जल्दी ही करना होगा और किसी वकील से अपनी मदद के लिए कहना सबसे अच्छा है। अस्पताल के स्टाफ से इस बारे में पूछें और वे आपको एक और पुस्तिका देंगे।

आपके अस्पताल का आदेश दिए हुए छः महीने हो जाने के बाद, आप भी न्यायाधिकरण से कह सकते हैं कि अब आपको अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए।

## न्यायाधिकरण क्या होता है और उससे क्या होगा?

न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र पैनल होता है जो यह फैसला कर सकता है कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। यह आपके साथ और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ के साथ एक बैठक करेगा। इस बैठक को "सुनवाई" कहा जाता है। यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से सुनवाई में अपनी सहायता करने को आने के लिए कह सकते हैं। सुनवाई से पहले, न्यायाधिकरण के सदस्य आपके और आपकी देखभाल के बारे में अस्पताल की रिपोर्टें पढ़ेंगे। न्यायाधिकरण का कोई सदस्य आपसे बात करने भी आएगा।

## मैं न्यायाधिकरण को कब आवेदन कर सकता हूँ?

आपके अस्पताल के आदेश को छः माह हो जाने के बाद, आप अगले छः महीनों के दौरान न्यायाधिकरण के पास एक बार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जब तक अस्पताल में रखा जाता है तब तक आप प्रत्येक वर्ष के दौरान एक बार आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहें तो आप इस पते पर लिख सकते हैं :

The Tribunals Service

PO BOX 8793

5th Floor

Leicester

LE1 8BN

फोन 0300 123 2201

आप किसी वकील से अपने लिए न्यायाधिकरण को लिखने और सुनवाई के समय आपकी मदद करने को कह सकते हैं।

अस्पताल और लॉ सोसाइटी के पास इसमें विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की एक सूची है। आपको इस विषय में वकील से सहायता लेने के लिए भुगतान नहीं करना होगा। कानूनी सहायता योजना के तहत यह निःशुल्क है।

## आपके पत्र

जब तक आप अस्पताल में हैं आपके लिए भेजे गए सभी पत्र आपको दिए जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को पत्र भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो कहे कि उन्हें आपसे पत्र नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को अस्पताल का स्टाफ रोक देगा।

## कार्यअभ्यास संहिता

कार्यअभ्यास संहिता अस्पताल के स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य कानून और मानसिक अस्वस्थता वाले लोगों का उपचार करने के बारे में सलाह देती है। आपकी देखभाल के बारे में स्टाफ द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें संहिता में कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप चाहें, तो आप संहिता की एक प्रति देखने के लिए कह सकते हैं।

## मैं शिकायत कैसे कर सकता हूँ?

यदि आप अस्पताल में अपनी देखभाल और उपचार के संबंध में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से कहें। वे संभवतः मामले का निपटारा कर सकें। वे अस्पताल की शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप स्थानीय प्रशासन के जरिए शिकायत का समाधान निकालने में कर सकते हैं। वे आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं जो शिकायत करने में आपकी मदद कर सकता हो।

यदि आपको लगता है कि अस्पताल की शिकायत की प्रक्रिया आपकी मदद नहीं कर सकती, तो आप किसी स्वतंत्र कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इस बात पर निगरानी रखता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का इस्तेमाल कैसे किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से हुआ है और अस्पताल में रहने के दौरान रोगियों की देखभाल उचित ढंग से की जाती है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें कमीशन से संपर्क करने के बारे में बताया गया है।

**अधिक सहायता और जानकारी**

यदि अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई बात आप नहीं समझ पाए हों, तो स्टाफ का एक सदस्य इसे समझने में आपकी मदद करेगा। यदि इस पुस्तिका की कोई बात आप नहीं समझ पाएं हों या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हों जिनके जवाब इस पुस्तिका में नहीं दिए गए हों तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से समझाने को कहें।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस पुस्तिका की एक और प्रति चाहते हों तो कृपया बताएं।